छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25/02/2025

क्रमांक एफ 1–38/2015/स्था/चार :: पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पत्र दिनांक 10.12.2012 द्वारा, श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल तत्कालीन प्रभारी लेखाधिकारी परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक–1 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बिलासपुर द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (प्रोग्राम फण्ड 2007–2008) के पैकेज क्रमांक सी.जी. 02–53 एवं पैकेज क्रमांक सी.जी. 02–52(1) के कार्य में अनियमितता के लिये संस्थित विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरूप कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 09.07.2015 के विरूद्ध श्री जायसवाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPS No. 3204/2016 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2023 द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Borrowing Department) द्वारा श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल को अधिरोपित आरोप पत्र दिनांक 10.12.2012 एवं 01 वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की अनन्तिम निर्णय सहित जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 09.07.2015 को Quashed कर दिया गया था।

2/– छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग से छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 13.01.2017 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग को उक्त विभागीय जॉच शासन स्तर पर लंबित होने के कारण कार्यवाही विवरण की कण्डिका–16 में बंद लिफाफे में रखने की अनुशंसा की गई।

3/– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा WPS No. 3204/2016 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2023 एवं WPS No. 5350/2017 में परित आदेश दिनांक 07.03.2024 के परिपालन में श्री जायसवाल द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन के अनुक्रम में बंद लिफाफा खोला गया। जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति बैठक दिनांक 13.01.2017 द्वारा श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल को उनके विरूद्ध प्रचलित विभागीय जांच समाप्त होने तथा उसमें पूर्ण रूप से दोषमुक्त पाये जाने पर छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग से छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के पद पर पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाया गया है।

4/– अतः राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग (वर्तमान पदस्थापना– व्याख्यता कार्यालय प्राचार्य शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, बिलासपुर) को छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग के पद पर कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान (15600–39100 ग्रेड वेतन 5400) लेवल–12 में पदोन्नत करते हुए **सहायक संचालक कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, अम्बिकापुर** के पद पर पदस्थ करता है।

5/– श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल की उक्त पदोन्नति "कार्य नहीं वेतन नही No Work No Pay" के सिद्धांत पर काल्पनिक पदोन्नति होगी, किन्तु जितनी अवधि में उस पद का वास्तविक रूप से कार्य नहीं किया गया है, उस अवधि का वेतन अवशेष प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी। वास्तविक लाभ पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा।

............2

603

6/– विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 13.01.2017 द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर विभागीय आदेश कमांक एफ 1–38/2015/स्था./चार, दिनांक 03.03.2017 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग पद पर पदोन्नत अधिकारी श्रीमती कविता चिंचोलकर के नीचे एवं श्री अनिल कुमार बारी के ऊपर श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल की वरिष्ठता का निर्धारण किया जावेगा।

7/– प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

25/02/2025
(शांता खरे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग

पृं. क्रमांक एफ 1–38/2015/स्था/चार   नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25/02/2025

प्रतिलिपि:–

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर,
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय/वित्त विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन,नवा रायपुर अटल नगर
3. उप सचिव, छत्तीसगढ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
4. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर,
5. विकास आयुक्त, विकास आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर अटल नगर,
6. संचालक, कोष एवं लेखा इन्द्रावती भवन/वित्तीय प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर अटल नगर,
7. सचिव, लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर अटल नगर को उनके पत्र क. 4975/131/2016/जी.एस., दिनांक 16.03.2017 के संदर्भ में
8. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय, मान. उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर, याचिका क. WPS No. 3204/2016 में पारित आदेश दिनांक 11.12.2023 एवं याचिका क. WPS No. 5350/2017 में परित आदेश दिनांक 07.03.2024 के परिपालन में
9. कलेक्टर, जिला बिलासपुर/कलेक्टर, जिला अम्बिकापुर
10. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, बिलासपुर/संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन अम्बिकापुर, जिला–सरगुजा
11. जिला कोषालय अधिकारी, बिलासपुर/जिला कोषालय अधिकारी अम्बिकापुर
12. **श्री जगदीश प्रसाद जायसवाल**, व्याख्यता कार्यालय प्राचार्य शासकीय लेखा प्रशिक्षण शाला, बिलासपुर
13. आदेश फोल्डर

————की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

25/02/2025
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग